मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झांसी

प्रकीर्ण वाद संख्या–३९/२०२०(एम.ए.सी.पी.सं. ६७/२०१९)
शगुन बनाम महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा
29.06.2020

प्रार्थिया द्वारा यह प्रार्थनापत्र एम.ए.सी.पी. सं. ६७/२०१९ में राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक १४.१२.२०१९ में पारित एवार्ड रु. ९०,०००/– प्राप्त करने के लिये प्रस्तुत किया गया है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थिया ने अपने आधार कार्ड व पास बुक की छाया प्रति दाखिल की है तथा अपने शपथपत्र में प्रार्थिया ने यह कथन किया है कि न्यायाधिकरण के उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में कोई अपील या रिवीजन विचाराधीन नहीं है और न ही कोई स्थगन आदेश है। एम.ए.सी.पी. सं. ६७/२०१९ का निर्णय जिला न्यायालय, झाँसी की वेब साइट पर उपलब्ध है, जिसके अनुसार ५०,०००/– रु. तीन वर्ष के लिये किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की सावधि जमा योजना में जमा किया जाना है तथा ४०,०००/–रु. नकद दिया जाना है। कार्यालय की चैक पंजिका के क्रमांक २२ पर ९०,०००/–रु. पंजाब नेशनल बैंक में चेक के माध्यम से जमा कराये गये हैं।

आदेश

पंजाब नेशनल बैंक शाखा झोकनबाग, झाँसी को आदेशित किया जाता है कि वह एम.ए.सी.पी. सं. ६७/२०१९ में जमाशुदा धनराशि श्रीमती शगुन के सिंडीकेट बैंक के खाता सं.९२३५२०१०००६३६३ IFSC–SYNB ०००९२३५ में मुब. ४०,०००/–रु. आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से स्थानान्तरित करें तथा ५०,०००/– रु. उसके नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की सावधि जमा योजना में ३ वर्ष के लिये निवेशित करें। अनुपालन आख्या अन्दर तीन दिन प्रेषित की जाये तथा उपरोक्तानुसार एफ.डी.आर. न्यायाधिकरण में शीघ्र दाखिल करें। ३बी प्रार्थनापत्र तदनुसार निस्तारित। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पी.ओ.,एम.ए.सी.टी.,झांसी।

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.06.29 18:50:20 IST
Reason: Document Owner
Location: MACT JHANSI